पत्रावली पेश हो।

राजस्व लोक अदालत / कोर्ट केम्प
स्थान [illegible] दिनांक 7/5/18

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार अभियान

5/18	पत्रावली पेश। उप० पक्ष० को बुला गया। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन

किया गया। प्रा०पत्र के अंकित तथ्यों, वांछित अनुतोषादि, अप्रार्थीगण के जवाब, वांछित अनुतोष एवं पत्रकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आदि पर सम्यक विचार किया गया।

हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम मानपुरा की भूमि खं० नं० 536, 549, 605, 609, 610 किता 5 रकबा 10.51 हैक्टर भूमि प्रतिपक्षी नं० 1 से 7 के नाम पर दर्ज रिकार्ड की हस्ब वसीयतनामा दि० 8.3.07 अप्रार्थी नं० 1 से 7 के पूर्वज श्री रावत सिंह द्वारा प्रार्थी के पक्ष में वसीयत की गयी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कई गिनाई लेख की वसीयत के गवाहान के शपथ-पत्र संलग्न की हालांकि यह साक्ष्य का विषय है, किन्तु प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में हम सम्यक विचारोपरान्त हम प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में पाते है।

उभयपक्ष विवादित आराजियात पर अपना-अपना कब्जा होने का दावा करते है। किन्तु प्रार्थी के पक्ष में फिलहाल 5 स्वतंत्र गवाहान के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये है। हालांकि यह भी सम्यक परीक्षण का विषय है। किन्तु अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वयं के कथनों के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य नहीं है। अतः इस प्रकार विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे से इन्कार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किये जाने की कोई वजह जाहिर नहीं होती है। यदि अप्रार्थीगण की रिलीफ अनुसार उक्त भूमि पर रीसीवर कायम किया जाता है, तो इससे वेल सेटल्ड पजेशन प्रार्थी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरन बेदखल करना पड़ेगा जो विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात बेदखली की अवस्था में प्रार्थी को ही असुविधा होना तय है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में उचित पाया जाता है।

प्रार्थी का विवादित आराजियात पर पजेशन है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को बनात बेदखल किया जाता है, तो इससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होना संभाव्य है।

प्रार्थी को, या अप्रार्थी नम्बर 1 से 6 को वादग्रस्त भूमि पर क्या अख्त्यार हासिल है? या होने चाहिये? इसका विनिश्चय गुणावगुण पर सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है, न कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र या प्रतिपक्षीगण के जवाब के अनुसार किन्तु वादपत्र की रुह विषयवस्तु जो कि विवादित आराजियात है को सुरक्षित तथा संरक्षित बनाये रखने तथा पक्षकारान के विधिक स्वत्व:

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की स्थायी प्रा० पत्र अंशतः स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रा० पत्र अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि उभयपक्षकारान ग्राम मानपुरा की भूमि ख० नं० 536, 549 605, 609, 610 किता 5 रकबा 10.51 हैक्टर भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति हकबाद के निस्तारण पर्यन्त बनाये रखें पत्रावली फैसला सुनाए होकर मूल वाद मि० नं० 120/15 के साथ में संलग्न रहे। निर्णय आज दि० 7/5/18 को खुली अदालत में सुनाया गया। हस्ता० 7/5/2018 (कृष्ण गोपाल जोशी) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner